B.Ed. 2nd year - (18-20)

Paper C11(c) (Guidance and counselling)

Date - 17/06/20

* विद्यालय में परामर्शदाता एवं शिक्षकों की भूमिका :- (Role of Counsellor and Teachers in organizing Guidance Service)

प्रत्येक विद्यालय में एक परामर्शदाता होता है। जो बालकों को परामर्श प्रदान करने हेतु या तो शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है अथवा परामर्श विशेषज्ञ को नियुक्त किया जाता है। जिनकी भूमिका इस प्रकार से होती है —

(1) विद्यालय से गहन संबंध बनाये रखना।

(2) समय-समय पर अभिभावकों की बैठक कर उनसे सम्पर्क बनाये रखने का प्रयास करना।

(3) विद्यार्थियों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण करना।

(4) छात्रों को विभिन्न व्यवसायों से संबंधित सूचनायें प्रदान करना।

(5) विद्यालय के उन आलेखों की व्याख्या करना जिनसे छात्र अनभिज्ञ होते हैं।

(6) ऐसे शिक्षकों की सहायता करना, जिनकी कक्षा में समस्यात्मक बालक होते हैं।

(7) परिवार, समाज एवं विद्यालय के मध्य संबंधों को विकसित करने में सहायता प्रदान करना।

(8) विद्यार्थियों को स्वयं को समझने में सहायता प्रदान करना।

(9) आजीविका हेतु योजनाओं के निर्माण में बालकों की सहायता करना।

(10) विद्यार्थियों की रुचियों, अभिरुचियों, योग्यताओं तथा शारीरिक गुणों का वस्तुनिष्ठ मापन करना।

अतः परामर्शदाता एक माली के समान है, जो मिट्टी तैयार करता है और प्रत्येक

बालकों को स्कूल आने में सहायता करते हैं, प्रत्येक कार्य करने को उत्साहित रहता है।

* विद्यालय में शिक्षकों की भूमिका :-

शिक्षक अपने छात्रों का मार्गदर्शक होता है वह उन्हें अनेक परिस्थितियों से अवगत कराता है क्योंकि वह उनके सर्वाधिक निकट सम्पर्क में रहता है, साथ ही उसे छात्रों की आवश्यकता संबंधि जानकारियाँ भी होती हैं तथा उनकी विभिन्न समस्याओं का भी ज्ञान होता है। अतः विद्यालयों में शिक्षकों की निम्नलिखित भूमिकाएं या कार्य होते हैं-

(1) छात्रों के साथ व्यक्तिक संबंध स्थापित करना।
(2) कुसमायोजित बालकों का पता लगाना।
(3) अभिभावकों से संपर्क स्थापित करना।
(4) विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से संपर्क स्थापित करना।
(5) छात्रों को पुस्तकालय का समुचित उपयोग करना सिखाना।
(6) विद्यार्थियों के अधिक विकास हेतु परिस्थितिय का निर्माण करना।
(7) पाठ्येतर सहगामी क्रियाओं का आयोजन।
(8) जिन छात्रों का साक्षात्कार लिया जा चुका है, उनकी रिपोर्ट को निर्देशन छात्रों को प्रदान करना।
(9) अपने विषय से संबंधित व्यवसायों तथा शैक्षिक अवसरों की सूचनाये छात्रों को प्रदान करना।
(10) छात्रों को परीक्षाये लेने में सहायता करना।